भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2159
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

2159. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विधिक अनुसंधान और अनुवाद में एआई उपकरणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए उचित उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में न्यायिक कर्मचारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार की एआई के उपयोग के संबंध में डेटा गोपनीयता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या योजना है ;

(घ) क्या न्यायालयों की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए कोई उपकरण या अनुप्रयोग है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त उपकरण या अनुप्रयोग का दायरा और प्रभावशीलता क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अधीन, सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने और एक "स्मार्ट" प्रणाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्री में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच होगी । एक स्मार्ट

प्रणाली बनाने के लिए, ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इसके उपसमूह मशीन लर्निंग (एमएल), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), आदि जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है । एआई का उपयोग बुद्धिमान शेड्यूलिंग, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), स्वचालित फाइलिंग, केस सूचना प्रणाली को बढ़ाने, चैटबॉट और अनुवाद के माध्यम से वादियों के साथ संवाद करने जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है ।

उच्च न्यायालयों की एआई समितियां उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद से संबंधित संपूर्ण कार्य की मॉनीटरी कर रही हैं । e-HCR/e-ICR जैसे डिजिटल विधिक प्लेटफार्म निर्णयों को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन अभिगमन का उपबंध करते है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय e-SCR पोर्टल पर उपलब्ध हैं : (https://judgments.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php)

विभिन्न प्रणधारी जैसे न्यायालय के कर्मचारीवृंद, अधिवक्ता, न्यायाधीश आदि को सम्मिलित करने वाली उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय के वेबपोर्टल पर सार्वजनिक रुप से उपलब्ध है : https://ecommitteesci.gov.in/document-category/training-and-awareness- programmes/. डॉटा संरक्षण के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव देने/सिफारिश करने, गोपनीयता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों की एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसमें डोमेन विशेषज्ञों से युक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्य सहायता प्रदान करते हैं । उपसमिति को डॉटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए समाधान देने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन बनाए गए डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का गंभीर रूप से आकलन और जांच करने का अधिदेश प्राप्त है ।

प्रत्येक मामले की दैनिक कार्यवाही की केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रविष्टी की जाती है और मुवक्किल को वेबसाइट और मोबाइल एपलेकेशन जैसी ई-न्यायालय सेवा प्लेटफार्म से उसकी जानकारी दी जाती है । इसके अलावा, न्यायालय प्रक्रियाओं की लाईव-स्ट्रीमिंग और रिकोर्डिंग के स्थान पर आदर्श नियम हैं । ये निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध हैं : https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2021/06/2022091599.pdf.

****